(21)

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1341-दो/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 14-09-2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक 163/अपील/2005-06.

---

नारायण देव विश्वकर्मा तनय श्री तनय रामदास विश्वकर्मा
निवासी ग्राम हरैया तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0

.....आवेदक

**बनाम**

1. सिद्धलाल पिता बाजीलाल धरकार
2. रमेश पिता बाजीलाल धरकार
3. मुन्नी पति सिद्धनाथ धरकार
4. सुदर्शन पिता सिद्धनाथ धरकार
5. राजेश पिता सिद्धनाथ धरकार

निवासी- ग्राम हरहया तहसील एवं जिला सिंगरौली म0प्र0

6. सुमेर पिता बल्देव धरकार
7. करीमन पिता सुमेर धरकार
8. विश्वनाथ पिता बाजीलाल धरकार
9. पप्पू पिता विश्वनाथ धरकार
10. चतुरी पिता बल्देव धरकार
11. बुद्धराम पिता चतुरी धरकार
12. शिवकुमार पिता चतुरी धरकार

निवासी- ग्राम पोड़ी मौगई तहसील एवं जिला सिंगरौली म0प्र0

..... अनावेदकगण

---

श्री संतोष पाण्डेय अधिवक्ता, आवेदक
श्री अरूण कुमार साहू अभिभाषक, अनावेदक

---

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 04/02/2019 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 14-09-2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदक ने ग्राम न्यायालय वृत उर्ती तहसील सिंगरौली के समक्ष ख0क्र0 305 रकवा 0.29 हे0 भूमि पर अनावेदकगण द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाये जाने से संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 47/04-05 में दिनांक 27-5-2005 को अंतिम आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली जिला सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28-9-2005 से अपील अस्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 14-09-2010 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा जवहीर को हुआ तदुपरांत बाजीलाल द्वारा उक्त भूमि क्रय कर नामांतरण करवा लिया। प्रकरण में यह नहीं देखा गया कि शासकीय पट्टे की भूमि खरीदने के लिये कलेक्टर की अनुमतितथा निर्धारित समय उपरांत की भूमि का विक्रय किया जा सकता है। ग्राम न्यायालय ने संहिता में निहित प्रावधानों की अनदेखी कर संहिता की धारा 250 का आदेश देने में त्रुटि की है। अनुविभागीय अधिकारी ने भी ग्राम न्यायालय के आदेश को परीक्षण किये बिना पुष्टि कर दी। इसी कारण जब अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई तब अपर आयुक्त ने इन वैधानिक तथ्यों पर

ध्यान देकर परीक्षण उपरांत उभय पक्षों को पूर्ण सुनवाई पश्चात वैधानिक आदेश हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 14-09-2010 स्थिर रखा जाता है।

4/02/2019.

**(आर.के.मिश्रा)**
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर